भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 3026
उत्तर देने की तारीख : 18.12.2025

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों हेतु कौशल विकास कार्यक्रम

3026. डॉ. कलानिधि वीरास्वामी :

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में विशेषकर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) हेतु कौशल विकास कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान उक्त कार्यक्रमों के अंतर्गत प्रशिक्षित एमएसएमई और व्यक्तियों की तमिलनाडु सहित राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ग) उक्त कार्यक्रमों के लिए कुल कितनी निधि आवंटित, जारी और उपयोग की गई है;

(घ) क्या एमएसएमई की कौशल संबंधी आवश्यकताओं के अनुरूप कोई उद्योग-विशिष्ट प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन कार्यक्रमों से एमएसएमई हेतु रोजगार सृजन, उद्यमिता और प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) से (ग) : सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र में श्रमशक्ति के कौशल में सुधार लाने के लिए कई पहलें की हैं। मंत्रालय स्कीमों और कार्यक्रमों नामत: उद्यमिता और कौशल विकास कार्यक्रम (ईएसडीपी) स्कीम के जरिए कौशल प्रदान करने तथा कौशल के उन्नयन संबंधी कार्यक्रमों का आयोजन करता है। देशभर में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), कौशल उन्नयन और महिला कॅयर योजना, एससी/एसटी हब, प्रशिक्षण संस्थानों को सहायता (एटीआई) स्कीम, नवोन्मेष, ग्रामोद्योग और उद्यमिता संवर्धन स्कीम (एस्पायर) तथा प्रौद्योगिकी केन्द्रों के जरिए प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। एमएसएमई की विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत कौशल विकास कार्यक्रम का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

(i) उद्यमिता और कौशल विकास कार्यक्रम (ईएसडीपी) स्कीम केन्द्रीय क्षेत्र की एक स्कीम है जिसका कार्यान्वियन अ.जा./अ.ज.जा., महिलाओं, दिव्यांगों, भूतपूर्व सैनिक, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों सहित समाज के विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाले युवाओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से किया जाता है ताकि देश में नए उद्यमों को बढ़ावा देने, मौजूदा एमएसएमई का क्षमता निर्माण करने तथा उद्यमिता संस्कृति को आत्मसात कराने हेतु वे स्व-रोजगार अथवा उद्यमिता को कॅरियर विकल्पों में से एक विकल्प के रूप में चयन करने पर विचार करें। पिछले तीन वर्षों में ईएसडीपी स्कीम के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रमों का तमिलनाडु सहित राज्य-वार ब्यौरा **अनुबंध-I** में दिया गया है।

(ii) खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) अपने 18-विभागीय प्रशिक्षण केन्द्रों, 17-गैर विभागीय प्रशिक्षण केन्द्रों तथा 24 प्रशिक्षण साझेदारों के जरिए कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है जिसमें मूलभूत रूप से खादी और ग्रामोद्योग व्यापारों में ग्रामीण स्व-रोजगार पर ध्यान केन्द्रित करना तथा कारीगरों को स्थानीय मांग के अनुरूप उत्पादों का निर्माण करने में सक्षम बनाने पर मुख्य रूप से ध्यान केन्द्रित किया गया है। पिछले तीन वर्षों के दौरान व्यक्तियों को केवीआईसी द्वारा प्रदान किए गए कौशल विकास प्रशिक्षण का तमिलनाडु सहित राज्य-वार ब्यौरा **अनुबंध-II** में दिया गया है।

(iii) कॅयर बोर्ड देश के अलग-अलग क्षेत्रों में अवस्थित अपने विभिन्न क्षेत्र स्तर के प्रतिष्ठानों के जरिए 'कौशल उन्नयन और महिला कॅयर योजना' घटक के अंतर्गत केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम कॅयर विकास योजना के तहत देशभर में विभिन्न कौशल प्रशिक्षण और विकास परक कार्यकलापों का कार्यान्वयन कर रहा है। पिछले तीन वर्षों के दौरान तमिलनाडु सहित विभिन्न राज्यों में ''सीवीवाई-कौशल उन्नयन और महिला कॅयर योजना'' के अंतर्गम विभिन्न कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों के तहत प्रशिक्षित व्यक्तियों का राज्य-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

क्र.सं.	राज्य	विभिन्न कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अंतर्गत प्रशिक्षित लोगों की कुल संख्या		
		2022-23	2023-24	2024-25
1	कर्नाटक	160	200	80
2	गोवा	40	80	0
3	आंध्र प्रदेश	166	273	147
4	तेलंगाना	40	120	40
5	पूर्वोत्तर क्षेत्र	280	436	185
6	केरल	429	893	515
7	लक्षद्वीप	0	120	120
8	पश्चिम बंगाल	200	160	120
9	महाराष्ट्र	379	416	137
10	अंडमान और निकोबार	160	120	40
11	गुजरात	120	160	0
12	तमिलनाडु	418	765	473
13	ओडिशा	402	450	264
कुल		**2794**	**4193**	**2121**

(iv) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्रालय के अंतर्गत भारत सरकार का एक उद्यम है। एनएसआईसी देश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के विकास को बढ़ावा देने उन्हें सहायता प्रदान करने तथा उन्हें सुदृढ़ बनाने के लिए कार्य करता आ रहा है। एनएसआईसी देश में कार्यालयों और तकनीकी केन्द्रों के देशव्यापी नेटवर्क के जरिए कार्य करता है। इसके अतिरिक्त, एनएसआईसी ने व्यावसायिक कार्यबल द्वारा प्रबंधित प्रशिक्षण-सह-इंक्यूबेशन केन्द्र की स्थापना की है। एनएसआईसी अपने तकनीकी सेवा केन्द्र और इंक्यूबेशन केन्द्रों के जरिए कौशल/उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों (ईएसडीपी) की पेशकश करता है।

एमएसएमई मंत्रालय की स्कीमों के अंतर्गत राज्य-वार निधियों के आवंटन का कोई प्रावधान नहीं है।

(घ) : मंत्रालय ने देशभर में विभिन्न क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी केन्द्रों की स्थापना की है। ये केन्द्र एमएसएमई के लिए आवश्यकता आधारित कार्यक्रमों और उद्योग की आवश्यकता के अनुसार मौजूदा औद्योगिक श्रमशक्ति को पुन: कौशल प्रदान करने सहित उद्योग में कार्य करने को तैयार श्रमशक्ति तैयार करने हेतु युवाओं को प्रौद्योगिकीय सहायता और कौशल प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान 18 टूलरूम और तकनीकी संस्थानों (टीआर और टीआई) द्वारा छह लाख से अधिक प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित किया गया है। प्रौद्योगिकी केन्द्र प्रणाली कार्यक्रम (टीसीएसपी) के अंतर्गत स्थापित 13 प्रौद्योगिकी केन्द्रों ने प्रशिक्षण कार्यकलाप शुरू कर दिए हैं और उन्होंने अप्रैल, 2023 से लेकर अब तक विभिन्न अल्पावधि और दीर्घावधि उद्योग-उन्मुख पाठ्यक्रमों में 93,000 से अधिक प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित किया है और 3,000 से अधिक एमएसएमई को सहायता प्रदान की है।

एनएसआईसी देशभर में 8 तकनीकी सेवा केन्द्रों (एनटीएससी) का संचालन कर रहा है तथा प्रत्येक एनटीएससी उद्योग केन्द्रित कौशल विकास और उद्यमिता प्रशिक्षण संबंधी विशेष क्षेत्र में विशिष्टता प्राप्त है। ये एनटीएससी मेकेनिकल वर्कशॉप, सूचना प्रौद्योगिकी, कैड/कैम और सीएनसी, मल्टीमीडिया व एनीमेशन, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स तथा उद्यमिता विकास जैसे क्षेत्रों में मांग आधारित, उद्योग-उन्मुख प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं। प्रत्येक प्रशिक्षण कार्यक्रम की पाठ्यचर्या इस प्रकार से तैयार की जाती है जिससे प्रशिक्षुओं को व्यावहारिक प्रशिक्षण के जरिए अधिकतम हैंड्सऑन एक्सपोजर प्राप्त् हो सके।

(ङ) : एमएसएमई को बढ़ावा देने हेतु निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं ताकि ये कार्यक्रम रोजगार सृजन, उद्यमिता और एमएसएमई के लिए वर्धित प्रतिस्पर्धात्मकता सुनिश्चित कर सकें:-

- प्रारम्भिक चरण में उद्यमितायुक्त सोच और क्षमता का निर्माण करने के लिए तकनीकी और व्यावसायिक कौशल प्रदान करना।

- प्रतिभागियों के विचारों को कार्य में परिणत करने, व्यावहारिक और अभिवृत्ति तत्परता का विकास करने और व्यक्तिगत उद्यमिता कौशल का सुदृढ़ीकरण करने के लिए प्रतिभागियों को सशक्त बनाने हेतु आधारभूत उद्यमिता प्रशिक्षण प्रदान करना।

- नए उद्यम के सृजन और मौजूदा एमएसएमई के विकास में सहायता प्रदान करने के लिए तकनीकी और वैकल्पिक कौशल का उन्नयन करना।

- औपचारिकीकरण तथा वित्तीय सम्बद्धता तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों के जरिए उद्यम रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाना।

****

अनुबंध-I

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3026, जिसका उत्तर दिनांक 18.12.2025 को दिया जाना है, के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

पिछले तीन वर्षों में ईएसडीपी स्कीम के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रमों और लाभार्थियों का तमिलनाडु सहित राज्य-वार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य का नाम	वित्त वर्ष 2022-23		वित्त वर्ष 2023-24		वित्त वर्ष 2024-25	
		कार्यक्रम	लाभार्थी	कार्यक्रम	लाभार्थी	कार्यक्रम	लाभार्थी
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	59	2856	56	2502	5	191
2	आंध्र प्रदेश	26	1424	113	5760	201	10093
3	अरुणाचल प्रदेश	27	1087	97	4236	135	6401
4	असम	379	15350	426	19339	885	43038
5	बिहार	132	6079	232	12265	288	13454
6	चंडीगढ़	1	118	8	276	4	239
7	छत्तीसगढ़	105	5266	133	5759	164	8080
8	दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव	8	608	12	467	23	1290
9	दिल्ली	23	1385	84	4170	112	4744
10	गोवा	7	279	36	1510	32	1424
11	गुजरात	196	9651	343	14939	642	29573
12	हरियाणा	65	3213	143	7688	207	10599
13	हिमाचल प्रदेश	31	1790	112	5923	121	5998
14	जम्मू और कश्मीर	101	3863	714	35280	752	33652
15	झारखंड	110	6156	141	8380	159	7447
16	कर्नाटक	141	6117	244	14301	380	18280
17	केरल	145	7150	150	8873	186	10197
18	लद्दाख	1	50	2	94	28	1573
19	लक्षद्वीप	0	0	11	498	6	233
20	मध्य प्रदेश	959	44248	975	42055	1850	77987
21	महाराष्ट्र	379	15468	386	16669	1334	56070
22	मणिपुर	35	1281	41	1722	125	4773
23	मेघालय	20	1209	57	2374	152	6101
24	मिजोरम	7	210	30	1122	54	2370
25	नागालैंड	206	6810	556	16561	373	12862
26	ओडिशा	196	8616	222	10348	756	38229
27	पुडुचेरी	5	147	19	737	184	8569
28	पंजाब	126	7269	194	10368	435	21251
29	राजस्थान	148	8820	276	12807	768	34206
30	सिक्किम	16	903	39	2004	70	3204
31	तमिलनाडु	**235**	**9433**	**319**	**16445**	**363**	**17929**
32	तेलंगाना	103	4606	275	11548	316	12717
33	त्रिपुरा	11	331	80	4072	160	6864
34	उत्तर प्रदेश	413	23137	483	25918	826	40120
35	उत्तराखंड	135	5511	214	7835	296	12206
36	पश्चिम बंगाल	181	8251	274	12197	179	7867
	कुल	**4732**	**218692**	**7497**	**347042**	**12571**	**569831**

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3026, जिसका उत्तर दिनांक 18.12.2025 को दिया जाना है, के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

पिछले तीन वर्षों के दौरान केवीआईसी के अंतर्गत कौशल विकास प्रशिक्षण का राज्य-वार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ-राज्य क्षेत्र	2022-23			2023-24			2024-25 (पी)		
		एसडीपी	ईएपी	कुल	एसडीपी	ईएपी	कुल	एसडीपी	ईएपी	कुल
1	आंध्र प्रदेश	370		370	1067	0	1067	886		886
2	अरुणाचल प्रदेश				180		180	142		142
3	असम	652	1233	1885	1049	2530	3579	1587	1924	3511
4	बिहार	1718	1505	3223	2218	1580	3798	3954	1513	5467
5	छत्तीसगढ़	235	0	235	1490	0	1490	819	0	819
6	दिल्ली	1041	2372	3413	1153	2398	3551	1083	790	1873
7	गोवा	10	0	10	0	0	0	-	-	0
8	गुजरात	-	-	-	270	0	270	-	-	0
9	हरियाणा	-	-	-	106	0	106	191		191
10	जम्मू और कश्मीर	875	876	1751	1783	1323	3106	1806	1513	3319
11	झारखंड	300	376	676	855	1012	1867	863	1024	1887
12	कर्नाटक	1737	3331	5068	3567	4825	8392	3280	3866	7146
13	केरल	2325	3640	5965	2990	2994	5984	3649	4036	7685
14	मध्य प्रदेश	1773	1375	3148	2148	1646	3794	1657	3300	4957
15	महाराष्ट्र	6113	10052	16165	7139	10485	17624	7675	8556	16231
16	मणिपुर	0	0	0	240	0	240	300	-	300
17	मेघालय	-	-	-	200	0	200	197	-	197
18	मिजोरम	549	1019	1568	591	1009	1600	660	1020	1680
19	नागालैंड	153	518	671	347	428	775	422	667	1089
20	ओडिशा	445	653	1098	1437	1923	3360	2576	2324	4900
21	पंजाब				220	0	220	340		340
22	राजस्थान	379	1155	1534	753	969	1722	823	1840	2663
23	तमिलनाडु	**3547**	**3363**	**6910**	**3498**	**3722**	**7220**	**3656**	**3442**	**7098**
24	तेलंगाना	2230	897	3127	2887	422	3309	1353	903	2256
25	त्रिपुरा				130	0	130	103		103
26	उत्तर प्रदेश	2401	3887	6288	3179	6010	9189	4369	6186	10555
27	उत्तराखंड	1556	3202	4758	1748	1807	3555	1778	1988	3766
28	पश्चिम बंगाल	767	2325	3092	1526	2308	3834	2512	2166	4678
	कुल	**29176**	**41779**	**70955**	**42771**	**47391**	**90162**	**46681**	**47058**	**93739**